अनुदान संख्या 18 - संस्कृति मंत्रालय
GRANT No. 18 - MINISTRY OF CULTURE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3114,25,00		3410,10,00	3343,41,21	-66,68,79
पूरक	Supplementary	295,85,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					21,91,50
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	285,40,00		285,43,00	63,48,70	-221,94,30
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					219,74,50

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹6668.79 लाख) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹29585.00 के पूरक अनुदान लाख का 23 प्रतिशत थी और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹6668.79 lakhs) constituted 23 percent of the supplementary grants of ₹29585.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services				
मू.	O.	6498.00			
पू.	S.	200.00	5891.19	5833.44	-57.75
पु.	R.	-806.81			
मुख्य शीर्ष "2205"	Major Head "2205"				
कला एवं संस्कृति	Art and Culture				
मू.	O.	298419.00			
पू.	S.	27393.00	332927.31	328507.77	-4419.54
पु.	R.	7115.31			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्व क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	6508.00			
पू.	S.	1992.00	..	..	..
पु.	R.	-8500.00			

(I) आठ शीर्षों के अन्तर्गत ₹8656.00 लाख का प्रावधान (₹1992.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹8150.00 लाख मुख्य शीर्ष "2252" के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹8656.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1992.00 lakhs) remained wholly unutilized under eight heads, of these ₹8150.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads -

(का) "कला एवं संस्कृति – कला और संस्कृति को बढ़ावा" –

(A) "Art and Culture - Promotion of Art and Culture" -

(क) "कला संस्कृति विकास योजना" – ₹4023.99 लाख;

(a) "Kala Sanskriti Vikas Yojana" - ₹4023.99 lakhs;

(ख) "शताब्दी और वार्षिक समारोह" – ₹2317.11 लाख; और

(खा) "कला एवं संस्कृति – संग्रहालय–संग्रहालयों का विकास" – ₹1808.90 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोजन कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि के अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – संस्कृति विभाग" के अन्तर्गत – ₹6241.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6441.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹786.78 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के नहीं भरे जाने, कम संख्या में दौरे किए जाने, मुद्रण और प्रकाशन के लिए कम संख्या में बिलों की प्राप्ति होने और परामर्शदाताओं की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2205" के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

(का) "सार्वजनिक पुस्तकालय" –

(क) "पुस्तकालय और अभिलेखागार – भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार" – ₹651.04 लाख की बचत (₹5807.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में एल. टी. सी. के दावों की कम प्राप्ति होने और कम मात्रा में डिजिटल उपकरणों की खरीद किए जाने के कारण हुई।

(ख) "पुस्तकालय और अभिलेखागार – राष्ट्रीय पुस्तकालय" – ₹832.14 लाख की बचत (₹5449.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने, प्रयोगशाला और परिरक्षण प्रभाग में पदों को समाप्त किए जाने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम संख्या में एल. टी. सी. और मेडिकल दावों की प्राप्ति होने और कम

(b) "Centenary and Anniversary Celebrations" - ₹2317.11 lakhs; and

(B) "Art and Culture - Museums - Development of Museums"- ₹1808.90 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat" - Department of Culture"- the original provision of ₹6241.00 lakhs was augmented to ₹6441.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹786.78 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less bills towards printing and publication and non-engagement of consultants.

(III) Under Major Head "2205" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Public Libraries" -

(a) "Libraries and Archives-National Archives of India"- saving of ₹651.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5807.00 lakhs) was due to receipt of less LTC claims and less procurement of digital equipment.

(b) "Libraries and Archives-National Library"- saving of ₹832.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5449.50 lakhs) was due to non-conducting of in-house training, abolition of posts in Laboratory and Preservation Divisions, non-filling up of vacant posts, receipt of less LTC, medical

संख्या में विदेशी दौरों के कारण हुई।

(ग) "पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास" – ₹1832.76 लाख की बचत (₹2302.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम संख्या में दावों की प्राप्ति होने, कम संख्या में घरेलु दौरे किए जाने और कम संख्या में परामर्शदाताओं को रखने के कारण हुई।

(खा) "पुरातत्व सर्वेक्षण – पुरातत्व खोज और खुदाई" – ₹877.26 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्य सर्किलों से कम मांग के कारण हुई।

(गा) "संग्रहालय" –

(क) "संग्रहालय–राष्ट्रीय संग्रहालय" – ₹843.12 लाख की बचत (₹5796.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में परामर्शदाताओं को रखने, रिक्त पदों को नही भरे जाने और कम संख्या में घरेलु/विदेशी दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) "संग्रहालय–सक्षम प्राधिकारी" – ₹728.40 लाख की बचत (₹892.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कार्यालय उपकरणों पर कम खर्च होने, कम संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होने और कम संख्या में घरेलु दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ग) "संग्रहालय का विकास" – ₹7006.72 लाख की बचत (₹14757.04 लाख के प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार/एजेंसियों से बराबर का हिस्सा नहीं मिलने के कारण संग्रहालयों/विज्ञान केंद्रों के निर्माण की परियोजनाओं में विलम्ब होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अन्तर्गत ₹352.70 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 45 प्रतिशत है।

claims, and less foreign tours undertaken.

(c) "Development of Libraries and Archives" - saving of ₹1832.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2302.00 lakhs) was due to receipt of less claims from states, less domestic tours undertaken and hiring of less consultants.

(B) "Archaeological Survey - Archeological Exploration and Excavation" - saving of ₹877.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to less demand from other circles of Archaeological Survey of India.

(C) "Museums" -

(a) "Museums-National Museum" - saving of ₹843.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5796.00 lakhs) was due to hiring of less consultants, non-filling up of vacant posts and less domestic/foreign tours undertaken.

(b) "Museums-Competent Authority" - saving of ₹728.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹892.00 lakhs) - was due to non-filling up of vacant posts, less expenses on office equipments, receipt of less medical claims and less domestic tours undertaken.

(c) "Development of Museums"- saving of ₹7006.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14757.04 lakhs) - was due to delay in projects for construction of Museums/Science Centre owing to non-receipt of matching share from State Government/agencies.

(IV) Under one head saving of ₹352.70 lakhs occurred, constituting 45 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹14497.59 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2205" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹27393.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था।

(का) "कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना" –

(क) "कला एवं संस्कृति विकास योजना" – ₹4704.72 लाख, वास्तविक अधिक व्यय, हालाँकि ₹4696.72 लाख हुआ।

(ख) "स्वायत्त शासी निकाय और अनुदानग्राही निकाय" – ₹5671.87 लाख, हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4898.24 लाख हुआ।

(ग) "संग्रहालय–स्वायत्त निकाय और अनुदानग्राही निकाय" – ₹4121.00 लाख तथापि अधिक व्यय ₹3607.36 लाख हुआ।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2205" – "पुरातत्व सर्वेक्षण–प्राचीन स्मारकों का संरक्षण" के अन्तर्गत – एएसआई सर्किल/कार्यालयों के रखरखाव एवं बागवानी से संबंधित कार्यों/स्मारकों का संरक्षण और लंबित देयताओं के भुगतान के लिए ₹2823.26 लाख के अधिक व्यय (₹1448.28 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹56548.28 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुए:–

2.(I) The above savings were partly (₹14497.59 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹27393.00 lakhs under the Major Head "2205" - under the following heads: -

(A) "Promotion of Arts and Culture" -

(a) "Kala Sanskriti Vikas Yojana" - ₹4704.72 lakhs. Actual excess, however, was ₹4696.72 lakhs.

(b) "Autonomous Bodies and Grantee Bodies" - ₹5671.87 lakhs. Actual excess, however, was ₹4898.24 lakhs.

(C) "Museums - Autonomous Bodies and Grantee Bodies" - ₹4121.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3607.36 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2205" - "Archaeological Survey - Conservation of Ancient Monuments" - excess of ₹2823.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹56548.28 including supplementary grant of ₹1448.28 lakhs) was due to maintenance and horticulture related tasks of ASI circles/offices, conservation of monuments and clearance of pending liabilities.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"					
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture					
मू.	O.	28040.00				
पू.	S.	2.00		6204.00	5988.64	-215.36
पु.	R.	-21838.00				

(I) "कला एवं संस्कृति" के अन्तर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई।

(I) Under "Art and Culture" - savings occurred under the following heads: -

(का) "सार्वजनिक पुस्तकालय – पुस्तकालय और अभिलेखागार – भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार" – ₹19866.33 लाख की बचत (₹21000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा केंद्रीय विस्टा परियोजना के अन्तर्गत एन. ए. आई. के नए भवन के निर्माण में देरी होने, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोजेक्टर की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और केंद्रीय विस्टा परियोजना के अन्तर्गत हेरिटेज कमेटी द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार के नए भवन को मंजूरी नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Public Libraries - Libraries and Archives - National Archives of India" - saving of ₹19866.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21000.00 lakhs) was due to delay in construction of new Building of NAI under Central Vista Project, by CPWD, non-finalization of procurement of high-quality projectors and non-approval of the construction programme of new building of National Archives of India by the Heritage Committee under Central Vista Project.

(खा) "संग्रहालय – संग्रहालय–राष्ट्रीय संग्रहालय" – ₹1062.88 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए भवन के कार्यालय के स्थानांतरण और नए वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी में विलम्ब होने के कारण हुई।

(B) "Museums - Museums - National Museum" - saving of ₹1062.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to delay in shifting of office of new building and delay in approval for purchase of new vehicles.

(गा) "भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सम्बद्ध कार्यालय" – ₹1380.60 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि का अधिग्रहण नहीं किए जाने और फर्नीचर की खरीद नहीं होने के कारण हुई।

(C) "Archaeological Survey of India - Attached Office" - saving of ₹1380.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) - was due to non-acquisition of land and non-procurement of furniture.

(II) एक शीर्ष के अन्तर्गत ₹429.71 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत है।

(II) Under one head saving of ₹429.71 lakhs occurred, constituting 33 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹631.76 लाख) प्रयुक्त हो गई, जैसा कि "कला एवं संस्कृति – संग्रहालय–संग्रहालय – नेशनल गैलरी ऑफ मॉर्डन आर्ट" के अन्तर्गत दिसम्बर, 2023 में ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹590.90 लाख हुआ।

4. The above savings were partly (₹631.76 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of 1.00 lakh in December, 2023 under "Art and Culture - Museums - Museums - National Gallery of Modern Art". Actual excess, however, was ₹590.90 lakhs.